

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

—0—


आदेश।

नया रायपुर, दिनांक २४/०७/२०१७

क्रमांक ७८६/६१६/२०१७/रथा./चार ... सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ७-१/२०१७/१-३, दिनांक २५.०४.२०१७ के कंडिका [2] (अ) के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा, वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ के ५० वर्ष की आयु अथवा २० वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले राजपत्रित अधिकारियों के सेवा अभिलेखों की छानवीन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में समीक्षा हेतु निम्नानुसार छानवीन समिति का गठन करता है :—

१.	वित्त विभाग का भारसाधक सचिव	अध्यक्ष
२.	संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर	सदस्य
३.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामांकित श्री विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(र.क. सिंह)  
उप सचिव

२४/७/१७ दूरभाष क्र. ०७७१-२५१०७३८

पृष्ठा. क्र. ७८६/६१६/२०१७/रथा./चार

नया रायपुर, दिनांक २४/०७/२०१७

प्रतिलिपि :—

१. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
२. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
३. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
४. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
५. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
६. श्री विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
७. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
- ८/ संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को वित्त विभाग के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
९. आदेश फोल्डर

— की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

(अतुल कुलश्रेष्ठ)  
शोध अधिकारी

दूरभाष क्र. ०७७१-२५१०४९४

२४/७/१७